केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/19 दिनांक: 23.01.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00016

अपीलकर्ता : श्री निखिल कुमार सिंह,
पुष्पा पैलेश, 'बी' एरिया,
मीठापुर, पटना – 800001.

निर्णय की तारीख : 23.01.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.11.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	-----
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	26/22.01.2019 (7619/19.01.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 16.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/CBSED/A/2017/157770, CIC/CBSED/A/2017/158049, CIC/CBSED/A/2017/132639, CIC/CBSED/A/2017/167878, CIC/CBSED/A/2017/158042 एवं CIC/CBSED/A/2017/158039 के Non-Compliance से संबंधित दिनांक 09.09.2018 की शिकायत पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न आर.टी.आई. आवेदन की जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 16.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन को डाक अनुभाग/सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा भूलवश लिंक डाक मानकर किसी अन्य रजिस्ट्री को अग्रसारित कर दिया गया, जबकि इसे आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाना चाहिए था । अतः इस आदेश के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन को यथाशीघ्र पंजीकृत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ।

3. ऐसे मामले अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में पहले भी आ चुके हैं जब आर.टी.आई. आवेदन आर.टी.आई. अनुभाग को अग्रसारित करने के बजाय किसी अन्य अनुभाग/रजिस्ट्री का अग्रसारित कर दिया गया है । तद्नुसार श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक, सी.आर.-1 को निर्देश दिया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि डाक अनुभाग में प्राप्त पत्रों की छंटाई ठीक से हो तथा डाक जिस विषय से संबंधित हो उसी अनुसार संबंधित अनुभाग/रजिस्ट्री को अग्रसारित किया जाए तथा इसके लिए सभी संबंधित कार्मिकों को उचित दिशा-निर्देश जारी किया जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
23 JAN 2019
D. No.
Initials.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :

1. श्री टी.बी.जे.एस.राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक, सी.आर.-1, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली । प्राप्त किया 23/1/19 5:12 PM